



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं० - 1527 वर्ष 2026

सौराम

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 6 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : परवेश कुमार पाण्डेय, सर्वेश कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

- वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा ईप्सित अनुतोष जिला प्रशासन को याची के भूमि द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने का निदेश देने के संबंध में है।
- याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस संबंध में 30-12-2025 को जिला कलेक्टर, अमरोहा के समक्ष याची द्वारा पहले ही अभ्यावेदन किया गया है लेकिन आज की तिथि तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
- अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि याची प्राइवेट प्रत्यर्थीगण सं० 5 से 7 के विरुद्ध अनुतोष की मांग पर रहा है।
- व्यथित पक्षकार के पक्ष में अधिकार का विद्यमान होना रिट याचिका का दावा करने के लिए सुने जाने का अधिकार देता है जैसा (2001) 4 एससीसी 734 में संप्रकाशित विनय कुमार बनाम उ०प्र० राज्य तथा अन्य में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है।

"2. सामान्य तौर पर, एक व्यक्ति के पास रिट याचिका दाखिल करने के लिए सुने जाने का अधिकार नहीं होगा यदि वह व्यक्तिगत तौर पर जाक्षेपित आदेश द्वारा प्रभावित नहीं होता है या इसके मौलिक अधिकारों पर न तो प्रत्यक्ष रूप से या सारतः आक्रमण किया गया है न ही इस प्रकार के अधिकारों पर आक्रमण किये जाने का कोई आसन्न खतरा है या इसके अर्जित हितों का उल्लंघन लागू नियमों की अनदेखी देते हुए किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अनुतोष अधिकारिता का अवलंब लेने वाले व्यक्ति के पक्ष में अधिकार के विद्यमान होने पर आधारित है। सामान्य नियम का अपवर्जन केवल उन मामलों में होता है जहाँ प्रयुक्त रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण या अधिकार पृच्छा रिट होता है या जनहित में दाखिल किया जाता है। यह प्रश्न का विषय है, कि न्यायालय रिट अधिकारिता के प्रयोग को उन मामलों तक सीमित रखता है जहाँ व्यक्ति विशेष को विधिक दोष या विधिक क्षतियाँ कारित की जाती हैं या इसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है एवं अन्य व्यक्ति के बताने पर व्यक्तिगत दोष या क्षति के मामलों को ग्रहण न करने के संबंध में जहाँ प्रभावी विधिक सहायता संगठन होता है जो इस प्रकार के मामलों को देखरेख कर सकता है। जनहित में दाखिल मामलों में भी, न्यायालय केवल तभी अन्य व्यक्ति के बताने पर रिट अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है जब यह प्रदर्शित किया जाता है कि विधिक दोष या विधिक क्षति या अवैध भार को खतरा है तथा इस प्रकार का व्यक्ति या व्यक्तियों का निर्धारित वर्ग गरीबी, अशक्तता या अराधना या सामाजिक या आर्थिक रूप से प्रतिकूल परिस्थिति के स्थिति के कारण अनुतोष के लिए न्यायालय में आने में अक्षम होता है।"

- इसी प्रकार, (2013) 4 एससीसी 465 में संप्रकाशित अयूब खान नूरखान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य में, उच्चतम न्यायालय ने बल दिया था कि व्यथित पक्षकारों के प्रवर्तनीय अधिकारों का विद्यमान होना इस न्यायालय में निहित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेने के लिए पूर्व-शर्त बनता है:

"9. यह सुस्थापित विधिक प्रतिपादना है कि पर व्यक्ति को तब तक किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब तक वह प्राधिकारी/न्यायालय को संतुष्ट नहीं करता है कि वह व्यथित व्यक्तियों के श्रेणी में आता है। मात्र वही व्यक्ति जो विधिक क्षति को भुगतता है या भुगत रहा है विधि न्यायालय में कार्य/कार्यवाही/आदेश की चुनौती दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट याचिका कानूनी या विधिक अधिकार को लागू करने के प्रयोजन हेतु पोषणीय होता है या जब अपीलार्थी द्वारा शिकायत की जाती है कि अधिकारियों की ओर से कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन किया गया है। इसलिए, प्रवर्तन हेतु न्यायिकतः प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध होना चाहिए, जिसके आधार पर, रिट अधिकारिता का आश्रय लिया गया है। न्यायालय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वास्तव में, व्यक्ति के आदेश पर अपने रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, लोक निकाय द्वारा कानूनी कर्तव्य के पालन को लागू कर सकता है, परन्तु इस प्रकार का व्यक्ति न्यायालय को संतुष्ट करे कि इस प्रकार के पालन पर बल देने के लिए इसके पास विधिक अधिकार है। इस प्रकार के अधिकार का विद्यमान होना न्यायालय के रिट अधिकारिता का अवलंब लेने के लिए एक पुरोभाव्य शर्त है। इस प्रकार के असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में यह विवक्षित है कि अनुरोध किया गया अनुतोष विधिक अधिकार को लागू करने के लिए होना चाहिए। वास्तव में, इस प्रकार के अधिकार का विद्यमान होना न्यायालय द्वारा उक्त अधिकारिता के उपयोग की बुनियाद है। विधिक अधिकार जिसे लागू किया जा सकता है सामान्यतया स्वयं अपीलार्थी का अधिकार होना चाहिए, जो इस प्रकार के अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करता है तथा इस संबंध में अनुतोष के लिए न्यायालय जाता है। (देखिए उड़ीसा राज्य बनाम मदन गोपाल रूंगटा (एआईआर 1952 एससी 12), सगीर अहमद बनाम उ०प्र० राज्य (एआईआर 1954 एससी 728), कलकत्ता गैस कं० (प्रोपाइटर) लि० बनाम पं० बंगाल राज्य (एआईआर 1962 एससी 1044), राजेन्द्र सिंह बनाम म०प्र० राज्य (1996) 5 एससीसी 460: एआईआर 1996 एससी 2736 तथा तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक शेयर होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन (2) बनाम एससी सेक्टर (2009) 2 एससीसी 784)।

10. “विधिक अधिकार” विधिक नियमावली से उद्भूत हकदारी अभिप्रेत है। इस प्रकार इसे विधि के शासन द्वारा व्यक्ति को प्रदत्त लाभ का प्रसुविधा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभिव्यक्ति “व्यथित व्यक्ति” में वह व्यक्ति शामिल नहीं होता है जो मनोवैज्ञानिक या काल्पनिक क्षति से पीड़ित होता है, इसलिए व्यथित व्यक्ति में आवश्यक रूप से वह व्यक्ति होना चाहिए जिसका अधिकार या हित प्रतिकूलतः प्रभावित रहा है या संकट में रहा है। (देखिए शांति कुमार आर० कंजी बनाम हामे इन्श्योरेन्स कं० आफ न्युयार्क ((1974) 2 एससीसी 387: एआईआर 1974 एससी 1719) तथा राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ ((1977) 3 एससीसी 11। आनंद शरद चन्द्र ओका बनाम मुम्बई विश्वविद्यालय (2008) 5 एससीसी 217: एआईआर 2008 एससी 1289) में, यह संप्रेक्षित करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसी प्रकार का विचार लिया गया था कि यदि अनुतोष का दावा करने वाला व्यक्ति शर्त के अनुसार पात्र नहीं है, तब इसे अन्य व्यक्तियों के चुनाव या चयन के संबंध में व्यथित व्यक्ति होना नहीं कहा जा सकता है।”

6. मा० उच्चतम न्यायालय ने 1976 (1) एससीसी 671 में संप्रकाशित जस भाई मोती भाई देसाई बनाम रोशन कुमार, हाजी बशीर अहमद के मामले में अभिनिर्धारित किया कि पर व्यक्ति जो व्यथित व्यक्ति नहीं है उत्प्रेषण या परमादेश हेतु रिट नहीं कर सकता है। पूर्वोक्त निर्णय के सुसंगत पैरा को यहाँ नीचे दोहराया जाता है:-

“50. जबकि विलम्बकारी दृष्टिकोण से बचा जाना चाहिए, बतौर नियम, न्यायालय को तब तक “परव्यक्ति” के कहने पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक आपवादिक परिस्थितियाँ न हो जिसमें जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव रखने वाला गंभीर घोर अन्याय अन्तर्वर्तित हो। यह मानते हुए कि अपीलार्थी एक “परव्यक्ति” है न कि दस्तदाज, तब भी वर्तमान मामले में आपवादिक परिस्थितियाँ नहीं हैं जो इसके कहने पर उत्प्रेषण रिट जारी करने को न्याय संगत ठहरायेगा। इसके प्रतिकूल, इसके पक्ष में इन वैवेकिक शक्तियों के प्रयोग का परिणाम मिला जुलाकर लोक नीति के विरुद्ध होगा। यह इस व्यापार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देगा जो वाणिज्यिक नैतिकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, यह कस्बे में सिनेमा व्यापार के बारे में अपीलार्थी के एकाधिकार को जारी रखने के लिए अग्रसर होगा तथा सर्वाधिक, यह असल में वाणिज्य या व्यापार विषय” विधि द्वारा अधिरोपित व्यक्तिगत निर्वन्धन” को जारी रखने के प्रत्यर्थीगण सं० 1 तथा 2 के मौलिक अधिकारों को गंभीरतापूर्वक क्षतिग्रस्त करेगा जो इनके पास संविधान के अनुच्छेद 19(1) (जी) के अन्तर्गत है।”

7. 2005 इला० एल०जे० 1966 में संप्रकाशित प्यारेलाल तथा अन्य बनाम उपनिदेशक चक्रबंदी मैनपुरी तथा अन्य के मामले में पैरा-7 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

“शब्द व्यथित का शब्द कोष अर्थ “हानि या क्षति भुगता हुआ” है। ब्लैक के विधि शब्दकोष के अनुसार व्यथित पक्षकार/व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके विधिक अधिकार पर आक्रमण शिकायत किये गये कार्य द्वारा किया जाता है या जिसके आर्थिक हित को डिक्री या निर्णय द्वारा निर्दिष्ट करते हुए प्रभावित किया जाता है। शब्द व्यथित से सारवान शिकायत, कुछ व्यक्तिगत या संपत्ति के अधिकार का प्रत्याख्यान या पक्षकार पर भार या बाध्यता का अधिरोपण निर्दिष्ट है। कार्पस जरिस सेकन्डम वैल्यूम पट 356 (प्रथम संस्करण) के अनुसार पक्षकार या व्यक्ति को केवल तभी निर्णय द्वारा व्यथित कहा जा सकता है जब यह इसके व्यक्तिगत, आर्थिक या सांपत्तिक अधिकारों पर प्रत्यक्ष रूप से तथा हानिकर रूप से प्रवर्तित होता है।”

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. इस बात के दृष्टिगत, चूँकि याची परिभाषा “व्यथित व्यक्ति” में नहीं आता है, इसकी ओर से दाखिल वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

9. वर्तमान रिट याचिका को खारिज किया जाता है। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं।
जनवरी, 29, 2026 (प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”